ए0एल0 बनर्जी
आईपीएस

अर्ध शा0 परिपत्र सं0-डीजी 24/2014
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग
लखनऊ
दिनांकः अप्रैल 9, 2013

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक समस्त जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक समस्त परिक्षेत्र
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद उ0प्र0 पुलिस ।

विषयः महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में पुलिस को अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने हेतु, जनसामान्य को उक्त अपराधों को ऑन लाइन रिपोर्ट करने के प्रावधान पर कार्यवाही विषयक ।.

जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि महिलाओं को प्रदेश में सुरक्षित महसूस कराने के लिये, महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों को जन सामान्य द्वारा रिपोर्ट करने की सुविधा हेतु एवं पुलिस को उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनाने विषयक कार्यवाही में उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर Report Crime Against Women नाम से लिंक सिटीजन सर्विसेज में मुख्य पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित कराते हुये, आपको सूचित किया गया था ।

इस अनुभाग को अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु इसकी निरंतर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा प्रदेश स्तर पर पुलिस अधीक्षक महिला सहायता प्रकोष्ठ सीआईडी मुख्यालय लखनऊ द्वारा की जायेगी एवं इस कार्यालय को प्राप्त शिकायतो एवं कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत की जायेगी। इस अनुभाग में व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित जनपद वेबसाइट पर प्रत्येक दिवस की अपलोडेड शिकायत को डाउनलोड करके प्राप्त करेंगे एवं इस शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करेंगे । प्रत्येक दिवस की कार्यवाही रिपोर्ट अपने जनपद के पुलिस वेबसाइट के प्रशिक्षित नॉडल अधिकारी से समय से वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे । शिकायत वेबसाइट पर अपलोड होते ही सम्बन्धित जनपद प्रभारी, रेंज प्रभारी एंव ज़ोन प्रभारी को **एसएमएस एलर्ट** जायेगा ।

इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक जनपद स्तर पर एक **राजपत्रित अधिकारी** को पुलिस वेबसाइट पर अपलोडेड सूचनायें प्राप्त करने का **उत्तरदायित्व** दिया जाये । जहां तक सम्भव हो इस कार्य हेतु महिला राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया जाये । उक्त अधिकारी प्रदर्शित सूचना हेतु निरंतर वेबसाइट पर अपने जनपद से सम्बन्धित शिकायत को चैक करायेंगे एवं **शीर्घ** कार्यवाही करांने के उपरांत कार्यवाही रिपोर्ट उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे, एक्शन टेकेन रिपार्ट अपलोड कराने से पूर्व यह ध्यान रखा जाये कि शिकायतकर्ता अथवा एक्यूज्ड किसी की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित न हो । उक्त कार्य में जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक विशिष्ट रूचि लेते हुये **सप्ताहिक** समीक्षा करेंगे । पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र/ पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही की मॉनिटरिंग करने हेतु **फोर्टनाइटली /मासिक रिपोर्ट** प्राप्त कर उचित निर्देश दिये जायें जिससे महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने में सहायता मिले ।

08/04/14
(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक

प्रतिलिपिः

1. अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी को महिला सहायता प्रकोष्ठ को यथावत निर्देश दिये जाने हेतु ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें को महिला सहायता प्रकोष्ठ को अपलोडेड शिकायतों पर कार्यवाही एवं समीक्षा हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु ।